न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना (कोर्ट कैम्प–कोलिया)

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **202/2021** दायर दिनाँक **05.08.2021**

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. केसर देवी पत्नी हरजीराम जाति बावरी निवासी कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र जेठाराम 2. रामनिवास पुत्र हरिराम 3. शंकरलाल पुत्र गोविन्दराम 4. नन्देकिशोर पुत्र जसकरण 5. श्रवणराम पुत्र जसकरण 6. नाथूराम पुत्र जसकरण 7. मन्जुदेवी पत्नी लिछमणराम 8. रामअवतार पुत्र लिछमणराम 9. किरण पुत्री लिछमणराम 10. रेखा पुत्री लिछमणराम 11. विनिता पुत्री लिछमणराम नाबालिग सरंक्षक माता मन्जु देवी 12. सम्पत देवी पुत्री जसकरण 13. गीता देवी पुत्री जसकरण 14. रामनिवास पुत्र पुनमचन्द 15. राधाकिशन पुत्र पूनमचन्द समस्त जाति जांगिड निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 16. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति दर्जी निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 17. भंवरराम पुत्र सुखाराम 18. संजय कुमार पुत्र सुखाराम 19. फेफा देवी पत्नी सुखाराम 20. जेठाराम पुत्र गोपीराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 21. तह[illegible] डीडवाना जिला [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादी।
2. श्री समंदरसिंह वकील प्रतिवादी सं0 14 की तरफ से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **14.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 1452 रकबा 0.7700 हैक्टयर बारानी प्रथम मौजा सरहद कोलिया में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीनी व प्रतिवादी सं0 01 ता 20 खातेदार काश्तकार है। वादीनी ने प्रतिवादी सं0 20 जेठाराम पुत्र गोपीराम के हिस्से में से एक विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2004 को पंजीबद्ध करवाया था जिसका हिस्सा 21/95 मुझ वादीनी के नाम पूर्व में दर्ज हो गया। तत्पश्चात 0.0930 हैक्टयर हिस्सा 12.05.2004 को मुझ वादीनी की खरीद शुदा है। दोनों का कुल रकबा 0.2632 मुझ वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त भुमि वादीनी व प्रतिवादी सं0 01 ता 20 की सहखातेदारी की भूमि है जो राजकीय रिर्कोड में सामलाती रूप से दर्ज है। सम्पूर्ण रकबे में से वादीनी का हिस्सा 0.2632 हैक्टयर दोनों विक्रय पत्र के अनुसार सींवे नींवें कायम है। खसरा सं0 1452 रकबा 0.7700 हैक्टयर की भूमि पक्षकारान की अविभाजित भूमि है। पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी में भूमि होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पडता है। उक्त भूमि बाबत प्रतिवादीगण को भूमि का विभाजन कराने का कई बार वादीनी ने कहा परन्तु उन्होनें दिलचस्पी नहीं ली इसलिए यह वाद वास्त विभाजन वादीनी पेश कर रही है। वादीनी की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है।

प्रार्थना वादीनी है कि वाद में वर्णित भूमि का बंटवारा व कब्जे काश्त के अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 20 के बीच संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर अमल दरामद किया जावें। पटवारी हल्का द्वारा जारी ट्रेस नक्शा में दर्शित खसरा संख्या 1452 रकबा 0.7700 हैक्टयर में से 0.2632 हैक्टयर भूमि पश्चिमी तरफ की वादीनी के नाम अलग से खातेदारी घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जावें।

वादीनी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को [illegible] तलब किया गया। पक्षकारान प्रशासन गांवों के [illegible] 2021 [illegible] कोलिया में उपस्थित हुए। पक्षकारान ने सलंग्न नजरी नक्शा [illegible]वारा किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पर अपनी सहमती व्यक्त की। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई।

अतः जरिये राजीनामा अनुसार बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादीनी का दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 1452 रकबा 0.7700 हैक्टयर में से 0.2632 हैक्टयर का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पश्चिमी दिशा की भूमि का वादीनी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
(कोर्ट कैम्प–कोलिया)

निर्णय आज दिनाँक **14.10.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
(कोर्ट कैम्प–कोलिया)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना (कोर्ट कैम्प—कोलिया)
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **202/2021**   दायर दिनाँक **05.08.2021**

वादीनी		**प्रतिवादीगण**
1. केसर देवी पत्नी हरजीराम जाति बावरी निवासी कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. रामचन्द्र पुत्र जेठाराम 2. रामनिवास पुत्र हरिराम 3. शंकरलाल पुत्र गोविन्दराम 4. नन्दकिशोर पुत्र जसकरण 5. श्रवणराम पुत्र जसकरण 6. नाथूराम पुत्र जसकरण 7. मन्जुदेवी पत्नी लिछमणराम 8. रामअवतार पुत्र लिछमणराम 9. किरण पुत्री लिछमणराम 10. रेखा पुत्री लिछमणराम 11. विनिता पुत्री लिछमणराम नाबालिग सरंक्षक माता मन्जु देवी 12. सम्पत देवी पुत्री जसकरण 13. गीता देवी पुत्री जसकरण 14. रामनिवास पुत्र पुनमचन्द 15. राधाकिशन पुत्र पूनमचन्द समस्त जाति जांगिड निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 16. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति दर्जी निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 17. भंवराराम पुत्र सुखाराम 18. संजय कुमार पुत्र सुखाराम 19. फेफा देवी पत्नी सुखाराम 20. जेठाराम पुत्र गोपीराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 21. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
घोषणा खातेदार एवं स्थाई नि[illegible]
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. [illegible]

दिनाँक **14.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू [illegible]रे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादीनी व श्री समंदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 14 की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सरहद कोलिया के खसरा सं0 1452 रकबा 0.7700 हैक्टयर में से 0.2632 हैक्टयर का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पश्चिमी दिशा की भूमि का वादीनी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
(कोर्ट कैम्प–कोलिया)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
(कोर्ट कैम्प–कोलिया)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner